भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 195*

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

*195. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री मनीष जायसवाल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हाल ही में 'मैपिंग द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस इन ट्रेडिशनल मेडिसिन' नामक शीर्षक से एक तकनीकी संक्षिप्त विवरण जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या सरकार ने उक्त संक्षिप्त विवरण के मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र (आयुष) में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और विनियमन के लिए इस रिपोर्ट के निहितार्थों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संक्षिप्त विवरण के आलोक में आयुष पद्धतियों के प्रचार, अनुसंधान और प्रचलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में पारंपरिक औषधियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 01 अगस्त, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 195* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): दिनांक 11 जुलाई 2025 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने "मैपिंग द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रेडिशनल मेडिसिन" नामक शीर्षक से एक तकनीकी संक्षिप्त विवरण जारी किया है। यह संक्षिप्त विवरण अवसरों और चुनौतियों दोनों पर प्रकाश डालते हुए पारंपरिक चिकित्सा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अनुप्रयोगों के वर्तमान परिदृश्य की जांच करता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में एआई के जिम्मेदार और नैतिक एकीकरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है।

आयुष मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर परामर्श बैठकें आयोजित करने और दस्तावेज़ को अंतिम रूप देने में सहायता करने के लिए एआई फॉर हेल्थ (FG-AI4H) पर डब्ल्यूएचओ-आईटीयू फोकस ग्रुप के तहत पारंपरिक चिकित्सा विषयक समूह के एक टॉपिक ड्राइवर के रूप में इस प्रक्रिया में योगदान दिया है।

(ख): सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी संक्षिप्त विवरण के मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों की समीक्षा की है। इस संक्षिप्त विवरण में निदान, उपचार, अनुसंधान और शिक्षा सहित पारंपरिक चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को बढ़ाने के लिए एआई की क्षमता पर जोर दिया गया है। यह इस क्षेत्र में एआई को प्रभावी और सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए नैतिक विचारों, डेटा गोपनीयता, नियामक ढांचों तथा क्षमता वर्धन के समाधान के महत्व को भी रेखांकित करता है।

(ग): डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में आयुष क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और विनियमन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। यह एआई के जिम्मेदार एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीतियां और दिशानिर्देश विकसित करने हेतु एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। रिपोर्ट के निष्कर्षों से निम्नलिखित के लिए मदद मिलती है:

i. आयुष क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देश स्थापित करना, रोगी सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना।
ii. आयुष में एआई-संचालित नैदानिक और चिकित्सीय उपकरणों के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल का विकास करना।

iii. आयुष क्षेत्र में एआई के अनुप्रयोगों के विकास, सत्यापन तथा नियोजन को नियंत्रित करने के लिये नियामक तंत्र तैयार करना।
iv. अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों का पालन करते हुए पारंपरिक चिकित्सा के लिए एआई में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

(घ): डब्ल्यूएचओ के संक्षिप्त विवरण के आलोक में, आयुष मंत्रालय ने आयुष पद्धतियों के प्रचार, अनुसंधान और अभ्यास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए आयुष ग्रिड के माध्यम से क्षमता वर्धन एवं डिजिटलीकरण जैसे कई कदम उठाने पर विचार-विमर्श शुरू किया है।

(ङ): आयुष मंत्रालय ने भारत में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों को कार्यान्वित किया है:

i. आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष क्षेत्र में सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने हेतु एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना कार्यान्वित की गई है। इस पहल का उद्देश्य, राष्ट्रीय/राज्य आरोग्य मेलों, योग उत्सवों, आयुर्वेद पर्वों और विभिन्न मल्टीमीडिया और प्रिंट मीडिया अभियानों के माध्यम से देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुंच बनाना है।

ii. आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में 12 राष्ट्रीय संस्थान और 05 अनुसंधान परिषदें बाह्य रोगी और अंतरंग रोगी सेवाओं में लगी हुई हैं, स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धतियों में वैज्ञानिक तर्ज पर अनुसंधान के समन्वय, निरूपण, विकास और प्रचार का कार्य कर रही हैं। ये संस्थान/परिषदें आम जनता में स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आरोग्य मेलों, जागरूकता शिविरों, उपचार शिविरों, रेडियो और टीवी वार्ताओं, आउटरीच कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम (एसआरपी), अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) अनुसंधान कार्यक्रम और जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम (टीएचसीआरपी) का आयोजन करती हैं। ये परिषदें नैदानिक अनुसंधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करती हैं। इन परिषदों ने पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं जो लोगों में अनुसंधान के परिणामों का प्रसार करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी उपलब्ध हैं। ठोस साक्ष्य सृजित करने के लिए औषधीय पादप अनुसंधान, दवा मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण; औषधीय अनुसंधान तथा साहित्यिक एवं मौलिक अनुसंधान किए जाते हैं।

iii. इस क्षेत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए, मंत्रालय ने "आयुष ग्रिड" परियोजना शुरू की है, जो एक व्यापक आईसीटी-आधारित पहल है जिसे आयुष क्षेत्र के समग्र विकास हेतु एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तथा मजबूत आईटी बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

iv. आयुष मंत्रालय विनिर्माण क्षमताएं और पारंपरिक दवाओं का निर्यात बढ़ाने, बुनियादी ढांचे तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता देने, नियामक ढांचों को मजबूत करने और पूरे क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पदान संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) योजना कार्यान्वित कर रहा है।

v. भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच), जो आयुष मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए फॉर्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है। इन भेषजसंहिता मानकों के कार्यान्वयन से दवाओं में बेहतर गुणवत्ता, शुद्धता और शक्ति सुनिश्चित होती है।

*****